भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1964

(जिसका उत्तर मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को दिया गया)

आईबीसी के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया में विलंब

1964. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार आईबीसी के तहत समाधान प्रक्रिया में, विशेष रूप से आवेदनों को स्वीकार करने में, होने वाले विलंब का किस तरह से समाधान कर रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार आईबीसी के तहत ऋणों और चूकों के सत्यापन के लिए निर्णायक सबूत के रूप में सूचना उपयोगिता रिकॉर्ड का उपयोग करने का विचार रखती है और तत्संबंधी ब्यौर क्या है;
(ग) सरकार द्वारा आईबीसी प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आईटी प्लेटफार्मों के एकीकरण की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार त्रुटियों को कम करने और आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अनुशंसित प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की योजना बना रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत त्वरित समाधान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, सरकार सतत आधार पर आवश्यक कदम उठा रही है, जिनमें रिक्तियों को भरना, ई-कोर्ट और हाइब्रिड कोर्ट परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठियाँ, विभिन्न हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, बुनियादी ढाँचे का प्रावधान आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिवाला समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करने और आईबीसी के प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आईबीसी की स्थापना के पश्चात से आईबीसी में छह संशोधन और विनियमों में 122 संशोधन किए हैं।

(ख): सूचना उपयोगिता (आईयू) द्वारा जारी किया गया रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट (आरओडी) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एए) के समक्ष चूक स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, आईयू द्वारा आरओडी जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत करने और दिवाला समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 13 अगस्त 2024 की अधिसूचना के माध्यम से आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएँ) विनियम, 2017 में संशोधन किया था।

(ग) और (घ): आईयू ऋणों और चूकों का एक इलेक्ट्रॉनिक भंडार है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ई-फाइलिंग के लिए ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में की जाती है। इसके अतिरिक्त, आईबीसी प्रक्रिया की विभिन्न फाइलिंग के लिए आईबीबीआई वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के एकीकरण, आगे स्वचालन और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना एक सतत प्रक्रिया है।

*****